न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 16/19 सन् 2019

RCMS NO-2019/ 00108

बउनवानीः—1. गोरधन पुत्र मांगीलाल उर्फ काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. राधेश्याम पुत्र मांगीलाल उर्फ काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल उर्फ काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
4. रामपति पुत्री मांगीलाल उर्फ काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
5. सावित्री पुत्री मांगीलाल उर्फ काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
6. पूरण पुत्र गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
7. गुलाब चन्द पुत्र गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
8. रूपेश पुत्र गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
9. विनोद पुत्र गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
10. अनिता पुत्री गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
11. सुनिता पुत्री गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
12. ममता पुत्री गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
13. बीना पुत्री गेन्दीलाल जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
14. नरेन्द्र पुत्र रामकिशोर जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
15. निर्मला पुत्री रामकिशोर जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
16. सुरेन्द्र पुत्र रामकिशोर जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
17. रजनी पुत्री रामकिशोर जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
18. गजेन्द्र पुत्र रामकिशोर जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. राजू उर्फ राजेश पुत्र काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. प्रभाती पुत्री काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. बृजमोहन उर्फ जगमोहन पुत्र काना जाति रेगर निवासी कुण्डेरा तहसील सवाईमाधोपुर हाल निवासी गुरूद्वारा के पास रेल्वे कॉलोनी गंगापुर सिटी
4. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 11 दिनांक 20.8.1998 वाके ग्राम भदलाव तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्टगण
2. श्री नेमीचन्द बैरवा — वकील रेस्पो0 संख्या 1—3

—: निर्णय :— दिनांक 24.10.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 11 निर्णय दिनांक 20.8.1998 वाके ग्राम भदलाव तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने यो[illegible] तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही रेस्पोडेन्टगणों से साज करके [illegible] पक्ष [illegible] की गयी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विधिक वारिसान की जॉच नही की गयी है व का[illegible] चिमन्या के सभी वारिसान के नाम पर भी नामान्तरकरण नही खोला गया है [illegible] रेस्पोडेन्ट [illegible] कुण्डेरा के स्थाई निवासी है एवं 1975 मे राजस्व [illegible] ख0न0 519/2 रकबा [illegible] 3 बिस्वा रेस्पोडेन्ट के पिता को आवंटन हुआ था एवं साबिक ख0न0 519/3 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:57:20 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

ख0न0 236 रकबा 0.25 है0, ख0न0 237 रकबा 1.05 है0 ख0न0 237/1466 रकबा 0.01 है0 अपीलान्ट के पिता काना पुत्र परस्या को आवंटन हुआ था साबिक ख0न0 519/2 के हाल नवीन खाता संख्या 21 में अंकित ख0न0 243 रकबा 1.30 है0 पर रेस्पो0 के कब्जे की भूमि होने के कारण रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 के नाम से विरासत का नामा0 संख्या 11 दिनांक 20.8.1998 को स्वीकार हो गया था खाता संख्या 21 की जमाबन्दी सम्वत् 2058 की मृतक काना पुत्र चिमन्या के नाम से थी जबकि खाता संख्या 33 में अंकित कृषि भूमि काना पुत्र परस्या के नाम दर्ज थी उक्त भूमि मे रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने फर्जी नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि खाता संख्या 33 में अंकित कृषि भूमि ख0न0 236 रकबा 0.25 है0, ख0न0 237 रकबा 1.05 है0 ख0न0 237/1466 रकबा 0.01 है0 पर अपीलान्ट का पूर्वजो के समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी खाता संख्या 21 की जमाबन्दी की पटवारी हल्का से नकल लेने पर प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि ग्राम भदलाव के ख0न0 519/2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा का नामा0 संख्या 11 दिनांक 20.8.1998 रेस्पोडेन्ट के पिता काना पुत्र चिमन्या की विरासत का खोला गया था जिसमे कोई विधि त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि काना उर्फ मांगीलाल पुत्र परस्या व काना पुत्र चिमन्या एक ही व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट के अनुसार आदेश जैर अपील पारित करते समय वारिसान की जॉच नही की गयी है। रेस्पो0 द्वारा ख0न0 519/2 की आराजीयात का नामा0 संख्या 11 दिनांक 20.8.1998 काना पुत्र चिमन्या की विरासत का नामा0 रेस्पो. संख्या 1 व 3 के नाम खुलवा लिया है तथा ख0न0 519/3 काना पुत्र परस्या की विरासत का नामा0 संख्या 532 दिनांक 5.1.2014 को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 राजू पुत्र काना एवं प्रभाती पुत्री काना द्वारा अपने नाम खुलवा लिया है। इस प्रकार उक्त दोनो आराजीयात दो अलग-अलग व्यक्तियों काना पुत्र चिमन्या एवं काना पुत्र परस्या की होने के बावजूद भी उक्त दोनो आराजीयात की विरासत का नामा0 रेस्पो0 के नाम विधिविरूद्व तरीके से खोला गया है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र मे काना उर्फ मांगीलाल पुत्र परस्या उर्फ परसराम एक ही व्यक्ति होने की बात कही है अर्थात काना पुत्र परस्या व मांगीलाल पुत्र परस्या एक ही व्यक्ति है इससे यह साबित नही होता है कि काना पुत्र परस्या व काना पुत्र चिमन्या एक ही व्यक्ति है। काना पुत्र चिमन्या की विरासत का नामा0 संख्या 11 राजू, बृजमोहन के नाम खोला गया है काना की पुत्री प्रभाती के नाम नही खोला गया है इसलिए भी उक्त नामा0 विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में काना पुत्र परस्या एवं काना पुत्र चिमन्या के विधिक वारिसान की जॉच करवाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। इसलिए विधिविरूद्व पारित आदेश जैर अपील को खारिज किया जाना उचित समझती हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 11 निर्णय दिनांक 20.8.1998) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक काना पुत्र परस्या एवं काना पुत्र चिमन्या के विधिक वारिसान की जॉच कर उनके वारिसान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:57:20 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner